

Need to ensure uniform implementation of the Street Vendors Act, 2014 in the country.-laid

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मैं सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से जुड़े आजीविका के अधिकार के निरंतर हो रहे उल्लंघन की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। जीवन का अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक आजीविका का अवसर भी इसमें निहित है। इसी उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम पारित किया था। इस कानून ने फेरीवालों की आजीविका को वैध मान्यता दी और सार्वजनिक स्थानों पर संतुलन बनाए रखने का प्रावधान किया। सरकार ने अधिनियम को लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए। विपरीत, देश भर में शहरी गरीबों को जबरन हटाया जा रहा है। मुंबई में महानगर पालिका द्वारा उठाए जा रहे कदमों से दशकों से वैध रूप से व्यापार कर रहे फेरीवालों की आजीविका पर संकट आ गया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनको आजीविका से वंचित किया जा रहा है, जिससे मराठी और उत्तर भारतीय समुदायों की आर्थिक अस्मिता पर संकट खड़ा हुआ है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि संविधान का भी अपमान है। अतः मेरी मांग है कि अधिनियम को देशभर में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अधिनियम की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को जबरन न हटाया जाए। सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाएगी।